an>

Title: Need to provide allocated share of water to Sidhmukh Nohar Irrigation Project, Rajasthan.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) ः पंजाब-हरियाणा एवं राजस्थान के जल समझौते एवं भारत सरकार के निर्णय 1981 के अनुसार सिधमुख नोहर सिंचाई प्रणाली हेतु 0.47 एम.ए.एफ. पानी देना निर्धारित किया गया था, जिसमें से 0.30 एम.ए.एफ. पानी ही राजस्थान को साउथ घग्घर एवं झण्डेवाला वितरिका से उपलब्ध है एवं शेष 0.17 एम.ए.एफ. पानी एक्स नागल राजस्थान को नागल से भाखड़ा मेन लाइन के माध्यम से राजस्थान सरकार के संसाधनों से उपलब्ध करवाया जाना था। उक्त भारत सरकार का निर्णय अनुबंध 1981 के अनुसार सभी सदस्य राज्यों के लिए बाध्य है। दिनांक 23.07.2007 को केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुनिश्चित किया गया कि पंजाब ने बी.एम.एल. की संपूर्ण क्षमता सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्य पूर्ण कर लिये हैं। भाखड़ा व्यास प्रबंध निगम द्वारा उक्त प्रकरण भारत सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया गया, जो कि हरियाणा का इस पानी से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान सरकार के बार-बार आग्रह के बाद भी हरियाणा के कारण हमें आवंटित शेष 0.17 एम.ए.एफ. पानी नहीं मिल रहा है। सिधमुख नोहर सिंचाई हेतु 0.47 एम.ए.एफ. पानी आवंटित किया गया। इस पानी के हिसाब से नहर, वितरिका आदि का निर्माण किया गया है। लेकिन शेष बचा हुआ पानी नहीं मिलने के कारण इस क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है। वे आंदोलित हैं। सरकार के समक्ष कानून-व्यवस्था बनाये रखना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान ने वर्ष 2009 में ही सिधमुख नोहर परियोजना पूर्ण कर ली है एवं परियोजना में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण हेतु उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करें एवं बी.बी.एम.बी. को राजस्थान के हिस्से का 0.17 एम.ए.एफ. पानी एक्स नागल देने के लिए निर्देशित करे।